E-mail

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी / A-II/NDPS/S-189/2012 /

दिनांक :

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी
.... राजस्थान।

विषय :– चिकित्सक के Prescription के बिना NDPS घटक युक्त औषधियाँ, जिनका दुरूपयोग नशे के रूप में किया जा सकता है, की बिक्री पर कडी निगरानी रखने बाबत।

महोदय,

विगत कुछ समय से यह जानकारी में लाया गया है कि कुछ दवा निर्माता कम्पनियां राज्य में NDPS घटक युक्त औषधियों की जो बिक्री कर रही हैं उन्हे खुदरा दवा विक्रेताओं द्वारा बिना चिकित्सक के Prescription के बेचा जा रहा है, जिसका दुरूपयोग नशे के रूप में किये जाने की जानकारी भी मिली है। विभाग का यह दायित्व है कि समाज में, विशेषकर युवा वर्ग में फैलने वाली इस दुष्प्रवृति को सख्ती से रोका जावे एवं ऐसे सभी औषधि विक्रेताओं के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमों के तहत की जावे। विशेषकर Codeine, Dextropropoxyphene, Pantazociene, Buprenorphine, Chlordiazepoxide, Diphenoxylate, Alprozolam, Nitrazepam, Diazepam etc. युक्त preparations पर कडी निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है।

आपके अधिकार क्षेत्र में सप्लाई होने वाली उक्त दवाओं के बिक्री विवरणों की बारीकी से जांच करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषी औषधि विक्रेताओ के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जावे। इसमे शिथिलता बरतने वालों पर विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

/

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी / A-II/NDPS/S-189/2012 / 528

दिनांक : 21/9/2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

D:\Akhilesh Ji\Letter.doc